रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31012020-215839
CG-DL-W-31012020-215839

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 03] नई दिल्ली, जनवरी 19—जनवरी 25, 2020, शनिवार/पौष 29— माघ 5, 1941
No. 03] NEW DELHI, JANUARY 19— JANUARY 25, 2020, SATURDAY/PAUSHA 29—MAGHA 5, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 07.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (केंद्रीय न्याय-वैधक विज्ञान प्रयोगशाला वर्ग 1 और वर्ग 2 के पद) भर्ती नियम 1974 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाइयों में ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/05/2013-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 11.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय (दुभाषिया संवर्ग) भर्ती नियम, 1994 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, राष्ट्रपति एतदद्वारा विदेश मंत्रालय के दुभाषिया संवर्ग के कतिपय समूह 'क' पदों की भर्ती के तरीकों को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**

   i. इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेश मंत्रालय (दुभाषिया संवर्ग) भर्ती नियम, 2020 है ।

   ii. ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू किया जाना.—** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **प्रारंभिक गठन.—** इन नियमों के लागू होने से तुरंत पहले प्रधान दुभाषिया (सुपर टाइम स्केल) के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले पदधारी को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया माना जाएगा तथा इन नियमों के लागू होने से तुरंत पहले संबंधित ग्रेड में ऊपर उल्लिखित पदधारी की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा की अवधि, वरिष्ठता, पदोन्नति, पुष्टिकरण इत्यादि के लिए अर्हक सेवा के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **अनर्हता.—** कोई व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के मामले में लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों में उल्लिखित कोई बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और ऐसी अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष कोटि के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. प्रधान दुभाषिया (सुपर टाइम स्केल)	2*(2020) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	लेवल 14 (रूपये 144200-218200)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं□	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता□
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न होने पर (अल्पकालिक अनुबंध सहित) प्रतिनियुक्ति.

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11	12	13
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (रुपये 123100-215900) वाले पदों पर	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करते

चार वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ दुभाषिया (चयन ग्रेड) और जिन्होंने विदेश मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पणी** : यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि की आधी से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, जो भी कम हो, और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):** केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो- क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13-ए (रुपये 131100-216600) वाले या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (रुपये 123100-215900) वाले या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :-	2. विदेश सचिव या विदेश सचिव द्वारा नामित सचिव - सदस्य 3. अपर सचिव (प्रशासन) - सदस्य	समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

I. (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भारतीय भाषा सहित विदेशी भाषा में मास्टर डिग्री। (ii) विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में और विलोमतः अनुवाद या निर्वचन अथवा संबंधित विदेशी भाषा में शिक्षण में बारह वर्ष का अनुभव; या II. (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भारतीय भाषा सहित विदेशी भाषा में डिग्री; और (ख) विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में और विलोमतः अनुवाद या निर्वचन अथवा संबंधित विदेशी भाषा में शिक्षण में चौदह वर्ष का अनुभव; या III. (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भारतीय भाषा सहित डिग्री; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विदेशी भाषा में दुभाषिया स्तर के समकक्ष डिप्लोमा; और (ग) विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिंदी अथवा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में और विलोमतः अनुवाद या निर्वचन में		

पंद्रह वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1:** विदेशी भाषा की सही आवश्यकता विज्ञापन के समय निर्धारित की जाएगी। **टिप्पणी 2:** फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 3**: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

1	2	3	4	5	6
2.वरिष्ठ दुभाषिया (चयन ग्रेड)	7*(2020) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	लेवल 13 (रूपये 123100-215900)	चयन पद	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा; और (ii)50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (रुपये 67700-208700) वाले पदों पर दस वर्ष की नियमित सेवा वाले दुभाषिया (वरिष्ठ स्केल) और जिन्होंने विदेश मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पणी 1**: बशर्ते कि इन नियमों के लागू होने की तारीख को दुभाषिया (वरिष्ठ स्केल) का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए उपर्युक्त उद्देश्य हेतु अर्हता शर्त 9 वर्ष ही रहेगी। **टिप्पणी 2:** यदि अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवावधि की आधी हो या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो- क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर धारित सदृश पद पर हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (रुपये 78800-209200) वाले या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव रखते हों :- **अनिवार्यः** I. (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:-** 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) – सदस्य 4. संबंधित भाषा के क्षेत्रीय प्रभाग के संयुक्त सचिव - सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भारतीय भाषा सहित विदेशी भाषा में मास्टर डिग्री। और (ख) विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में और विलोमतः अनुवाद या निर्वचन अथवा संबंधित विदेशी भाषा में शिक्षण में दस वर्ष का अनुभव; या **II.** (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भारतीय भाषा सहित विदेशी भाषा में डिग्री; और (ख) विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में और विलोमतः अनुवाद या निर्वचन अथवा संबंधित विदेशी भाषा में शिक्षण में बारह वर्ष का अनुभव; या **III.** (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भारतीय भाषा में स्नातक डिग्री; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्थान से संबंधित विदेशी भाषा में दुभाषिया स्तर के समकक्ष डिप्लोमा; और (ग) संबंधित विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिंदी अथवा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भारतीय भाषा में और विलोमतः अनुवाद या निर्वचन में तेरह वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी 1:** विदेशी भाषा की सही आवश्यकता विज्ञापन के समय निर्धारित की जाएगी। **टिप्पणी 2:** फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)		

पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. दुभाषिया (वरिष्ठ वेतनमान)	8*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, गैर लिपिक वर्गीय	स्तर 11 (रु.67,700-20,8700)	चयन पद	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)
पदोन्नतिः- वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (रु. 56100-177500) में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाला कनिष्ठ दुभाषिया होना चाहिए जिसने विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **नोटः-** जहां ऐसे कनिष्ठ पदाधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी सेवा में अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या 2 वर्ष, जो भी कम हो, की कमी न हो और उन्होंने अपने उन कनिष्ठ पदाधिकारियों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है,के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्तिः- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र मे, (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद वाले अधिकारी या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (रु. 56,100-1,77,500) या समतुल्य में नियुक्ति उपरांत पांच वर्ष की नियमित सेवा वाला अधिकारी ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव रखता होः- I. (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में अंग्रेजी या हिन्दी या

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा सहित संबंधित विदेशी भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री; और
(ख) संबंधित विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में और विलोमतः अनुवादक या दुभाषिए के रुप में या संबंधित विदेशी भाषा में शिक्षण का 5 वर्ष का अनुभव।
या
II. (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा सहित संबंधित विदेशी भाषा में डिग्री; और
(ख) संबंधित विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा और विलोमतः में अनुवादक या दुभाषिए के रुप में या संबंधित विदेशी भाषा में शिक्षण का 7 वर्ष का अनुभव।
या
III (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेजी या हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय से स्नातक डिग्री; और
(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विदेशी भाषा में द्विभाषित्व मानक के समतुल्य डिप्लोमा; और
(ग) संबंधित विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिन्दी या आठवीं सूची में शामिल किसी भारतीय भाषा एवं विलोमत: में अनुवादक या दुभाषिए के रुप में 8 वर्ष का अनुभव।

नोट 1: विदेशी भाषा की सही आवश्यकता विज्ञापन के समय निर्धारित की जाएगी।

नोट 2: फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे क्रम में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

नोट 3: केन्द्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व दूसरे संवर्ग-बाह्य धारित पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए विचारार्थ) निम्नलिखित से गठित होती है:- 1. विदेश सचिव या उनके द्वारा विदेश मंत्रालय से नामांकित सचिव **–** अध्यक्ष; 2. अपर सचिव (प्रशासन) -सदस्य; 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य ; 4. संबंधित भाषा (भाषाओं) के क्षेत्रीय प्रभाग में संयुक्त सचिव- सदस्य	प्रतिनियुक्ति आधार पर पद पर भर्ती करते समय यूपीएससी से परामर्श अनिवार्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. कनिष्ठ दुभाषिया	18*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तित हो सकती है)	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	स्तर-10 (रु.56100-177500)	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की रियायत) **टिप्पण:** आयुसीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा सहित संबंधित विदेशी भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष; या II. (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा सहित संबंधित विदेशी भाषा में डिग्री; और (ख) संबंधित विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा और विलोमतः में अनुवादक या दुभाषिए के रुप में या संबंधित विदेशी भाषा में शिक्षण का 2 वर्ष का अनुभव या (III) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अंग्रेजी या हिन्दी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय से स्नातक डिग्री या समकक्ष; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विदेशी भाषा में द्विभाषित्व मानक के समतुल्य डिप्लोमा या समकक्ष; और (ग) संबंधित विदेशी भाषा से अंग्रेजी या हिन्दी या आठवीं सूची में शामिल किसी भारतीय भाषा एवं विलोमतः में अनुवादक या दुभाषिए के रुप में 3 वर्ष का अनुभव **नोट** - विदेशी भाषा की सही आवश्यकता विज्ञापन के समय निर्धारित की जाएगी।	लागू नहीं	एक वर्ष	सीधी भर्ती। **टिप्पण:** तैनात कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य किसी परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि से रिक्ति होने पर इसे केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा, (क)(i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारक; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (रुपए 53100-167800)/स्तर 8 (रुपए 47600-151100) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	**समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के लिए विचारार्थ) निम्नलिखित से गठित होती है:-** 1. अपर सचिव (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. संबंधित भाषा (भाषाओं) के क्षेत्रीय प्रभाग में संयुक्त सचिव - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य है।

[सं. क्यू/सीएडी/798/01/2017]

देवेश उत्तम, निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 23rd January, 2020

G.S.R. 11.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of External Affairs (Interpreters' Cadre) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'A' posts of the Interpreters' Cadre of the Ministry of External Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs (Interpreters' Cadre) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Initial constitution.— The incumbent holding the post of Principal Interpreter (Super Time Scale) immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and the regular continuous service of incumbent referred above in the respective grade immediately before the commencement of these rules shall be counted for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation, etc.

5. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Principal Interpreter (Super Time Scale)	2* (2020) *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-14 (Rs.144200-218200)	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short- term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Interpreter (Selection Grade) in level-13 of the pay matrix (Rs. 123100-215900) with four years regular service in the grade and have undergone and successfully completed such training programme as may be prescribed by the Ministry of External Affairs. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or	**Group 'A',Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Foreign Secretary or Secretary nominated by the Foreign Secretary -Member; 3. Additional Secretary (Administration)- Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract) basis.

State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institutions,- (a) (i)holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 13-A (Rs. 131100-216600) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- **Essential:** I. (a) (i) Masters degree in the foreign language with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as compulsory or elective subject at degree level from a recognised university or institute; and (ii) twelve years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution and vice versa or in teaching the foreign language concerned; or II. (a) a degree in the foreign language with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as compulsory or elective subject from a recognised university or Institute; and (b) fourteen years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution and vice versa or in teaching the foreign language concerned; or (III) (a) Bachelors degree with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as compulsory or elective subject from a recognised university or institute; and		

(b) a diploma equivalent to interpretership standard in the foreign language concerned from a recognised university or institute; and (c) fifteen years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule and vice-versa. **Note 1:** The exact requirement of foreign language shall be prescribed at the time of the advertisement. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3**: The period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation(including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Senior Interpreter (Selection Grade)	7*(2020) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level-13 (Rs.123100-215900)	Selection post

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	(i) 50 per cent. by promotion failing which by deputation(including short-term contract); and (ii) 50 per cent. by deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Promotion: Interpreter (Senior Scale) in level-11(Rs. 67700-208700) of the pay matrix with 10 years regular service in the grade and have undergone and successfully completed such mandatory training programme as may be prescribed by the Ministry of External Affairs. **Note 1:** Provided that the eligibility conditions for the above purpose shall continue to be 9 years for persons holding the post of Interpreter(Senior Scale) on the date of commencement of these rules. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation(including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institutions,- (a)(i)holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12(Rs.78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and	**Group 'A', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Additional Secretary (Administration) – Member; 3. Joint Secretary (Administration) – Member; 4.Joint Secretary in the territorial division of the language concerned - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while filling up the post on deputation (including short-term contract) basis.

experience, namely:- **Essential:** (1)(a) Masters degree in the foreign language with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as a compulsory or elective subject at degree level from a recognised university or institute; and (b) ten years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution and vice versa or in teaching the foreign language concerned; or II. (a) a degree in the foreign language with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as compulsory or elective subject from a recognised university or institute; and (b) twelve years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution and vice versa or in teaching the foreign language concerned; or (III)(a) Bachelors' degree with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as compulsory or elective subject from a recognised university or equivalent; and (b) a diploma equivalent to interpretership standard in the foreign language concerned from a recognised university or equivalent; and (c) thirteen years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule and vice versa. **Note 1**: The exact requirement of foreign language shall be prescribed at the time of the advertisement. **Note 2:** The departmental		

officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation(including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation(including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Interpreter (Senior Scale)	8*(2020) *(subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection

(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation

(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Interpreter in level-10(Rs. 56100-177500) of the pay matrix with five years regular service in the grade and have undergone and successfully completed such mandatory training programme as may be prescribed by the Ministry of External Affairs. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility	**Group 'A',Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1. Foreign Secretary or a Secretary nominated by him from Ministry of External Affairs – Chairman; 2. Additional Secretary (Administration) - Member; 3. Joint Secretary (Administration) – Member; 4. Joint Secretary(s) in the territorial division of the language(s) concerned - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while filling up the post on deputation basis.

service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union Territories, (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (Rs.56100 - 177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- I. (a) Masters degree in the foreign language concerned with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as a compulsory or elective subject at degree level from a recognised university or institute; and (b) five years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution and vice versa or in teaching the		

foreign language concerned. or II. (a) a degree in the foreign language with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as a compulsory or elective subject at degree level from a recognised university or institute; and (b) seven years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution and vice versa or in teaching the foreign language concerned. or (III)(a) Bachelors' degree with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as compulsory or elective subject from a recognised university or institute; and (b) a diploma equivalent to interpretership standard in the foreign language concerned from a recognised university or institute; and (c) eight years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule and vice versa. **Note 1:** The exact requirement of foreign language shall be prescribed at the time of the advertisement. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for		

appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Junior Interpreter	18*(2020) *(subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 (Rs.56100-177500)	Not applicable

(6)	(7)
Not exceeding 35 years (relaxable for Government servants upto five years' in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential:** I. (a) Master's degree in the foreign language with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as compulsory or elective subject at degree level from a recognised university or equivalent; or II. (a) a degree in the foreign language with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as compulsory or elective subject from a recognised university or equivalent; and (b) two years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution and vice versa or in teaching the foreign language concerned; or (III)(a) Bachelor's degree with English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule to the Constitution as compulsory or elective subject from a recognised university or equivalent; and (b) a diploma equivalent to interpretership standard in the foreign language concerned from a recognised university or equivalent; and (c) three years' experience as a Translator or Interpreter in the foreign language concerned to English or Hindi or any Indian language included in the Eighth Schedule and vice versa. **Note:** The exact requirement of foreign language shall be prescribed at the time of the advertisement.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	One year	Direct recruitment

		Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government, - (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-9(Rs. 53100-167800) or Level-8(Rs.47600-151100) of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'A', Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of** :- 1.Additional Secretary(Administration) - Chairman; 2. Joint Secretary (Administration) - Member; 3. Joint Secretary in the territorial division of the language concerned - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. Q/CAD/798/01/2017]

DEVESH UTTAM, Director (Administration)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2020

सा.का.नि. 12.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध आया, प्रयोगशाला परिचर/फार्माश्यूटिकल परिचर, चिकित्सा अभिलेख परिचर और अस्पताल सहायक/नर्सिंग सहायक (पुरूष/महिला) के पद से है और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली एम्बुलेंस परिचर (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2005 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नई दिल्ली के कलावती सरन बाल अस्पताल में नर्सिंग परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, नर्सिंग परिचर, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।